सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट व सीटबेल्ट पर होगी सख्ती

सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती से कार्रवाई करेगा. इसके लिए यातायात सुरक्षा में जनजागरण अभियान को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता बताई गई. साथ ही शहर में सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. उक्त निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लिए गए है.

शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जनहानि रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई. बैठक न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सड़क सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी. न्यायमूर्ति सप्रे ने ब्लैक स्पॉट्स सुधार कार्य, चालानी कार्रवाई, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की स्थिति, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और सड़क सुरक्षा शिक्षा जैसे विषय पर समीक्षा की.

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि जिले में ब्लैक स्पॉट्स पर लगातार सुधार कार्य किए जा रहे हैं और कई स्थानों पर दुर्घटनाओं एवं जनहानि में कमी आई है। कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएं शून्य तक लाने में सफलता मिली है.

अभियान की जानकारी दी

डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी ने जिले में ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के बारे में बताया। बैठक में शासकीय विभागों के साथ निजी स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया. बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, आईडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अर्थ जैन, अपर आयुक्त निगम आकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

न्यायमूर्ति सप्रे ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि चालानी कार्रवाई बढ़ने के बावजूद आमजन में हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की आदत अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है.

इस पर सभी विभागों, संस्थाओं और नागरिकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि यातायात सुरक्षा में जनजागरण अभियान को जनआंदोलन बनाया जाए.

बैठक में सड़क इंजीनियरिंग को लेकर भी सप्रे ने निर्देश दिए कि सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि केवल आदेश जारी कर देने से बदलाव नहीं आता, बल्कि लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाना, जागरूक करना और नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना जरूरी है. सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन, पुलिस या न्यायपालिका का विषय नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है.

90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बयां किया दर्द : बेटे और पोते करते हैं प्रताड़ित

जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर ने दिखाई संवेदनशीलता

इस हफ्ते की जनसुनवाई में 83 आवेदकों ने लगाई गुहार

समस्याओं के तुरंत एवं प्रभावी निराकरण के संबंधितों को निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर. पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला अकेले अपनी फरियाद लेकर पहुंची और पुलिस कमिश्नर को बताया कि उसके बेटे और पोते उसकी देखभाल नहीं करते, प्रताड़ित करते हैं और उसे सहारा नहीं दे रहे हैं. पुलिस कमिश्नर ने संवेदनशीलता के साथ पूरी बात सुनी और तत्काल एसीपी जूनी इंदौर को काउंसलिंग एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. एसीपी ने बुजुर्ग महिला की विस्तृत शिकायत सुनकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया और उन्हें पुलिस वाहन से सुरक्षित घर भिजवाया.

हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आमजन की शिकायतें सुनते हुए उनके तुरंत एवं प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस दौरान 83 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें बेटे बहू द्वारा प्रताड़ना, पति पत्नी एवं अन्य पारिवारिक विवाद, आपसी मतभेद, पैसों के लेन देन के मामले, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्लॉट, मकान एवं जमीन संबंधी धोखाधड़ी, महिला अपराध, पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने की शिकायतें तथा अन्य पुलिस संबंधी प्रकरण शामिल रहे. जनसुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक आवेदक की समस्या गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनी. कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए, जबकि अन्य प्रकरणों में दूरभाष के माध्यम से अधिकारियों को तत्काल निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल सके.

जनसुनवाई में ये अधिकारी मौजूद रहे

जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं विस्तार से सुनीं और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई शुरू कराई. इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इंदौर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से पारिवारिक एवं आपसी विवादों में लगातार काउंसलिंग कर शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मामलों का सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निराकरण हो सके.

जिले में अब तक साढ़े 7 इंच औसत वर्षा

नव भारत न्यूज

इन्दौर. इंदौर में जारी मानसून सत्र में अब तक 189.5 मिलीमीटर (लगभग साढ़े 7 इंच) औसत वर्षा हो चुकी है। यह आंकड़ा गत वर्ष में हुई लगभग 5 इंच औसत वर्षा से ढ़ाई इंच ज्यादा है. भू-अभिलेख कार्यालय की जानकारी अनुसार आज 30 जून तक पिछले 24 घंटे में वर्षा मापी केन्द्र इंदौर में 0.2, महू में 47 , सांवेर में शून्य, देपालपुर में 44.8, गौतमपुरा में 47.6 तथा हातोद में 17 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. साथ ही पिछले 24 घंटे में 26.1 मिली मीटर यानि एक इंच औसत वर्षा हुई है. ध्यान रहे कि गत वर्ष इस अवधि तक इंदौर में 134.1, महू में 132, सांवेर में 141.2, देपालपुर में 138.8 दर्ज की.

शहर के सौ सरकारी स्कूलों में लगेंगे आरओ व वाटर कूलर

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के सौ सरकारी स्कूलों में आरओ एवं वाटर कूलर लगाए जाएंगे. इसके लिए ओएनजीसी और संसद सेवा संकल्प के तहत 70 लाख रुपए की राशि रखी गई है. इसकी शुरुआत पहले चरण में शहर के 29 सरकारी स्कूलों से की गई है.

सांसद शंकर लालवानी की पहल पर 100 सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को शुद्ध एवं शीतल पेयजल की सुविधा मिलेगी. प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपक्रम ओएनजीसी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि एवं सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से 100 आरओ सिस्टम एवं 100 स्टेनलेस स्टील वाटर कूलर स्थापित किए जा रहे हैं. इसकी शुरुआत प्रथम चरण में 29 शासकीय विद्यालयों से की गई. शासकीय नवीन मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी गई. सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि स्वस्थ विद्यार्थी ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं. इसी सोच के साथ शासकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की यह व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी होती थी. अब आरओ एवं स्टेनलेस स्टील वाटर कूलर स्थापित होने से हजारों विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध होगा।

दूरदर्शी व प्रेरणादायी प्रयास

जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने सांसद पहल की सराहना करते हुए कहा कि शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रत्येक विद्यार्थी का मूल अधिकार है. बच्चों के स्वास्थ्य, एकाग्रता, नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रेरणादायी प्रयास है. कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी शौर्य मल्होत्रा, ओएनजीसी से पीयूष आर्य, जिला शिक्षा उप अधिकारी सुदीप निगवाल, इनहिबो शिक्षा संस्थान मुक्ति जैन, सांदीपनी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य रामकृष्ण कोरी, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

एक नजर में

ग्रामीण छात्रों की मदद के लिए विकास साबु सम्मानित

इंदौर. साबु ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीताराम सेवा ट्रस्ट (पनामरुथुपट्टी, सेलम) के ट्रस्टी, विकास साबु को आज ग्रामीण शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए एक समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह भारतीय विद्या मंदिर, सेलम द्वारा आयोजित किया गया था. तमिलनाडु के माननीय वाणिज्यिक कर मंत्री, थिरु लोकेश तमिल सेल्वन ने विकास साबु को यह सम्मान प्रदान किया, जो उन्हें श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जा रही निःस्वार्थ शैक्षिक और सामाजिक पहलों के लिए दिया गया है. इस ट्रस्ट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इस अवसर पर विकास साबु ने हा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी प्रतिभाएं है, जिन्हें सही अवसरों और संसाधनों की जरूरत है. श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट का हमेशा से प्रयास रहा है कि आर्थिक कठिनाई किसी होनहार बच्चे के भविष्य और उसके सपनों में बाधा न बने. हम आने वाले समय में भी ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के अपने इस संकल्प को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखेंगे.

एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर फोकस

इंदौर. एमएसएमई दिवस के अवसर पर एक्ज़िम बैंक ने मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक कार्यक्रम किया. इसमें इन उद्यमों को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने पर जोर दिया गया. इस कार्यक्रम का मकसद मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्यात के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में उनकी मदद करना, उनकी स्पर्धात्मकता बढ़ाना और उन्हें आसान फायनैंस उपलब्ध कराना था. 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना' थीमपर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, एमएसएमई, नीति निर्माताओं और अकादमिक जगत जैसे विविध क्षेत्रों से भागीदारी रही. एक्ज़िम बैंक उप प्रबंध निदेशक, तरुण शर्मा ने कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान 'विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते कदम' थीम पर बात की. उन्होंने कहा कि अब केवल निर्यात बढ़ाने की नहीं, बल्कि एमएसएमई को बड़े स्तर पर विस्तार देने की जरूरत है. राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए दवा उद्योग, रसायन, कृषि प्रसंस्करण, रक्षा विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और निर्यातकों को इनका बेहतर उपयोग करना होगा.

हिन्दुस्तान जिंक ने 60 साल पूरे किए

इंदौर. विश्व की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सिल्वर उत्पादकों में से एक वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी 60वीं वार्षिक आम बैठक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. संचालन के छह दशक पूरे होने पर हिंदुस्तान जिंक 2.0 विजन को और मजबूत किया, जो भविष्य के लिए तैयार मल्टी-मेटल एंटरप्राइज बनने की दिशा में एक निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया, इसमें खनन किए गए मेटल का प्रोडक्शन 1.1 मिलियन टन से अधिक रहा जो अब तक का सबसे अधिक है, और रिफाइंड मेटल का आउटपुट दूसरा सबसे अच्छा रहा, साथ ही वैश्विक स्तर पर लागत के मामले में सबसे कम लागत वाली कंपनियों में से एक बनी रही. चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमताओं का विकास भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक प्रमुख आधार होगा। इसी दिशा में हिंदुस्तान जिंक की भूमिका लगातार विकसित हो रही है.

सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी ए27 5जी

इंदौर. सैमसंग ने आज अपने नए स्मार्टफोन गैलेक्सी ए27 5जी को लॉन्च करने की घोषणा की. इसे खासतौर पर उन युवा उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है, जो स्टाइलिश डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मजबूत सुरक्षा और सहज यूज़र अनुभव वाला भरोसेमंद स्मार्टफोन किफायती कीमत पर चाहते हैं. गैलेक्सी ए27 5जी की सबसे बड़ी खूबियों में इसका 6.7-इंच का 120हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले शामिल है। यह डिस्प्ले जीवंत रंगों, बेहतरीन डिटेल और स्मूद विज़ुअल अनुभव के साथ तेज़ टच रिस्पॉन्स देता है. स्क्रीन की मजबूती के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ की सुरक्षा दी गई है. 4एनएम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतर पावर एफिशिएंसी भी प्रदान करता है. इसके साथ यूएफएस 3.1 स्टोरेज और एलपीडीडीआर 5 एक्स रैम हर तरह के काम को तेज़ और सहज बनाते हैं. 50 एमपी का मेन कैमरा दिया गया है, जो ओआईएस और 4के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आता है। इसकी मदद से चलते-फिरते भी साफ और बिना हिले हुए वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं.

फायर-बोल्ट ने स्मार्टफोन बाजार में रखा कदम

इंदौर. भारत के सबसे बड़े कनेक्टेड कंज्यूमर इकोसिस्टम में से एक, फायर-बोल्ट ने आज स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की घोषणा की है। वियरेबल्स सेगमेंट में अपनी सफलता के बाद, कंपनी ने बोल्ट नाम से एक नया मेड-इन- इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया है. यह नया ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अन्य प्रमुख रिटेल चैनलों के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध होगा. भारत में निर्मित और भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए बोल्ट स्मार्टफोन, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के प्रति फायर-बोल्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साथ ही, कंपनी अपने गहन बाजार अनुभव को फ्लिपकार्ट के व्यापक नेटवर्क के साथ जोड़कर देशभर के उपभोक्ताओं तक अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को पहुंचाएगी. इस घोषणा पर बोल्ट के फाउंडर एवं सीईओ, अर्नव किशोर ने कहा, पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों ने फायर-बोल्ट पर भरोसा जताया है. बोल्ट हमारी इसी कामयाबी का अगला कदम है. हमें पूरा यकीन है कि भारत में एक ऐसे देसी ब्रांड की बहुत जरूरत है, जो सच में भारतीयों की पसंद और जरूरतों को समझता हो। बोल्ट के साथ हम अपनी पूरी ताकत, तकनीक और तजुर्बे को मिलाकर ऐसे स्मार्टफोन पेश करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से भारत के लिए डिजाइन और देश के भविष्य को देखकर बनाए गए हैं.

सुरक्षा जालियों में जमा कंक्रीट मलबा हटाया

26 जून को प्रकाशित नवभारत की खबर का असर

नवभारत न्यूज़

इंदौर. 26 जून को नवभारत में प्रकाशित समाचार का असर देखने को मिला। पुरातात्विक महत्व की इमारत पर सुरक्षा जालियों (नेट) में जमा कंक्रीट का मलबा हटा दिया गया. मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और भवन स्वामी को कड़ी हिदायत दी कि राजवाड़ा जैसे अत्यंत व्यस्त और ऐतिहासिक क्षेत्र में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही से राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. निगम की चेतावनी के बाद भवन स्वामी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नेट पर जमा समस्त कंक्रीट का मलबा साफ करवा दिया.

खाद्य सुरक्षा का सघन अभियान, 64 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे

23 नमूनों की मौके पर जांच, 3 अमानक मिलने पर तत्काल कार्रवाई

नवभारत न्यूज़

इंदौर. जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया. कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में विद्यालयों, डेयरी, मसाला निर्माण इकाइयों, नमकीन और मिठाई प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न खाद्य कारोबारियों का निरीक्षण कर 64 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए. वहीं, चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से 23 नमूनों की मौके पर जांच की गई, जिनमें 3 नमूने अमानक पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई.

अभियान के दौरान क्रीन्स कॉलेज और चोइथराम स्कूल के भोजनालय एवं कैंटीन का निरीक्षण कर दाल, राजमा, बेसन, आटा, नमकीन चावल, आलू की सब्जी और चना मसाला सहित 10 नमूने लिए गए. निरीक्षण में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन संतोषजनक पाया गया. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर बाबा कुल्फी (राऊ), यादव डेयरी फार्म तथा शर्मा कॉस्मेटिक एंड किराना का निरीक्षण कर मिठाई, दूध, पनीर, दही, घी, रस्क और नमकीन सहित 17 नमूने लिए गए. जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली के तहत कृष्ण मिल्क प्रोडक्ट, एलआईटी स्पाइसेज़, कृष्णा डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन तथा प्रकाश नमकीन उद्योग से 22 नमूने, जबकि भेरुनाथ नमकीन, सांवरिया दूध डेयरी स्वीट्स एंड एवरफ्रेश तथा गंगा नमकीन स्वीट्स एंड बेकरी से 15 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए. निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, पानी की नियमित जांच, चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, कीट नियंत्रण अभिलेख तथा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए. साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य मिलावट की पहचान और सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उपयोग के प्रति जागरूक भी किया गया. सभी 64 नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

डेली कॉलेज पहुंचे इम्तियाज अली, विद्यार्थियों से किया संवाद

नवभारत न्यूज़

इंदौर. प्रख्यात फिल्म निर्माता-निर्देशक इम्तियाज अली ने डेली कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया. उनके साथ फिल्म निर्माता मोहित चौधरी भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, मंगलगान, छात्रा संजोली कृष्णा द्वारा फिल्म मैं वापस आऊँगा के गीत की प्रस्तुति तथा छात्र सहज अग्रवाल की लघु फिल्म के प्रदर्शन से हुआ.

संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने इम्तियाज अली की फिल्मों और उनकी रचनात्मक प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे. हाल ही में प्रदर्शित %मैं वापस आऊँगा के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी परिकल्पना पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई. उन्होंने कहा कि फिल्म में आजादी के बाद के विस्थापन की पीड़ा के साथ एक संवेदनशील प्रेम कहानी भी है. संगीत परउन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों में मुख्य रूप से प्रीतम और ए.आर. रहमान ने संगीत दिया है. विद्यार्थियों के प्रश्नों की सराहना करते हुए इम्तियाज अली ने कहा आपने मुझसे एक भी आसान सवाल नहीं पूछा. उन्होंने डेली कॉलेज के विद्यार्थियों की वैचारिक परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए भविष्य में कॉलेज परिसर में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग करने की इच्छा भी जताई. इस अवसर पर डेली कॉलेज की प्राचार्या डॉ. गुनमीत बिंद्रा, बोर्ड के अध्यक्ष महाराज विक्रम सिंह पुआर, बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, ओल्ड डेलियंस और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.

राजपूत अधिवक्ताओं ने चौहान फिल्म के विरोध में सौंपा ज्ञापन

इंदौर. चौहान नामक फिल्म के ट्रेलर एवं प्रमोशनल कंटेंट को लेकर राजपूत समाज से जुड़े अधिवक्ताओं ने तुकोगंज थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई. अधिवक्ताओं ने कहा कि चौहान नाम भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान, राष्ट्ररक्षा और बलिदान की गौरवशाली पहचान है. इस नाम या प्रतीक का भ्रामक, विकृत अथवा अपमानजनक उपयोग राजपूत समाज की गरिमा पर सीधा प्रहार है.

ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त कंटेंट की तत्काल जांच कर संबंधित अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय, नीरज वाय, हिमांशु एस एवं समस्त निर्माता, निर्देशक, कलाकार, प्रोडक्शन हाउस एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत स्वदृक्रदर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाए। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री को हटाने एवं ब्लॉक करने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग भी की गई.

अधिवक्ताओं ने कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित नहीं है, बल्कि समाज की ऐतिहासिक अस्मिता, चौहान वंश की गरिमा और सार्वजनिक शांति की रक्षा हेतु किया गया वैधानिक प्रयास है. इस अवसर पर अधिवक्ता कृष्णपाल सिंह खींची, अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अधिवक्ता हेरंभ सिंह वशिष्ठ सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे.

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से चौराहों तक पहुंचा सेफ क्लिक 2.0 अभियान

इंदौर. साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने शहरभर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लाइब्रेरी, गार्डन और प्रमुख चौराहों पर आयोजित कार्यक्रम आयोजित कर साइबर ठगी को लेकर जागरूक किया.

इस दौरान पुलिस ने नागरिकों, विद्यार्थियों और युवाओं को सोचें समझें क्लिक करें का संदेश देते हुए डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, ओटीपी और क्यूआर कोड फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी तथा फेक कॉल मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी. अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और विभिन्न पुलिस थानों ने मेदांता, कोकिलाबेन, मीनेश व ट्रॉमा सेंटर अस्पताल, नेहरू नगर लाइब्रेरी, पलासिया, दरगाह चौराहा, मेघदूत गार्डन, क्रिश्चियन कॉलेज और शारदा कन्या स्कूल सहित कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. साथ ही साइबर अपराध होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी.

समुन्नति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैद हाई-टेक पार्क, नंबर 129-बी, 8वीं मंजिल, ईस्ट कोस्ट रोड, थिरुवानमियूर, चेन्नई - 600041

शुद्धि-पत्र

कृपया इस समाचार पत्र में दिनांक 30.06.2026 को प्रकाशित हमारे 'उधारकर्ताओं/गारंटरों को नोटिस' विज्ञापन का संदर्भ लें. मेसर्स युगनिर्माण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के खाते के लिए 'क्रेडिट सुविधा की प्रकृति' को सारणीबद्ध कॉलम में त्रुटिवश 'गृह ऋण' के रूप में उल्लेखित कर दिया गया है. क्रेडिट सुविधा की प्रकृति को 'अवधि ऋण' पढ़ा जाए. इस त्रुटि के लिए खेद है. अन्य सभी मामले अपरिवर्तित रहेंगे.

प्राधिकृत अधिकारी

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

peoplehome

Registered Office : Unit No. 301, Third Floor, Harbhajan Commercial Premises Co-operative Society Ltd., CST Road, Opp. BPCL Petrol Pump, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400098. CIN: U65922MH2016PLC273526

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट IV को नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को जारी मांग नोटिस के अनुसार, नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का अनुरोध किया जाता है. ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़े जाने पर, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है. ऋणकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल होंगे. ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1.	UDRNM23013371 और UDRNM23013489 जयेंद्र पडियार कविता पडियार	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में मकान संख्या 202 ए, योजना संख्या 02 का पूर्वी भाग, प्रशासनिक क्षेत्रफल 1195 वर्ग फुट, जवाहर नगर, तहसील और जिला-नीमच-458441, मध्य प्रदेश में स्थित. सीमाएँ:- पूर्व- प्लॉट संख्या 201 पश्चिम- प्लॉट संख्या 202 का भाग, उत्तर- बैकलेन, दक्षिण- कॉलोनी रोड	07-मई-25 रु. 78,28,440/- (रु. अट्ठहत्तर लाख अट्ठाइस हजार चार सौ चालीस मात्र)	26-06-2026

दिनांक : 01.07.2026 / स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए